



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | LAKHISARAI  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना  
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

Govind Bhavishya Bharti Shiksha Seva Sadan

Ward No. - 9

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 06-09-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 12-08-2022 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय Govind Bhavishya Bharti Shiksha Seva Sadan, Ward No. - 9, West Karyanand Nagar, 8113 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 12-08-2022 से 12-8-2025 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा त उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक : अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति : जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय निष्कासित किया जाएगा ।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा ।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा ।

2/12/21

विश्वसामाज्य  
१००  
विश्वसामाज्य  
विश्वसामाज्य, विश्वसामाज्य  
विश्वसामाज्य, विश्वसामाज्य  
विश्वसामाज्य, विश्वसामाज्य

- 19. अज्ञेयक III के रूप में संलग्न अन्य शब्द
- 18. यदि सोसाइटी के निर्देशन के तहत प्रकाश की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
- निर्देशन अज्ञेयों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
- 17. निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा / विश्वसामाज्य प्राथमिकी के द्वारा समय-समय पर निर्देशन एवं संवर्गाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और यह सरकार के स्तर से प्रतीकित की शर्तों के तहत रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता है। अथवा विद्यालय संस्थान से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर उद्घृत किया जाए।
- 16. आप के विद्यालय को आवंटित प्रतीकित कोड संख्या [ 2271368202196100640, 2021 ] है। इस कापालय से किसी प्रकार का पताचार करने में इस कोड को अधिक संख्या विवरणों की एक प्रति प्रतिपत्र विश्वसामाज्य अर्थात्क को भेजी जाएगी।
- 15. संस्था का अकेक्षण एवं उसका प्रशासकीय शक्ति एकल-स्टे के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त संस्था विवरणों द्वारा की जाएगी। प्रत्येक 14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्ति के साथ अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ के लिए संघालित नहीं होगा।
- 13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1960 (1960 का 21) के अन्तर्गत निर्धारित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में नामांकन के तहत गठित कि
- 12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संवर्गाएँ अथवा भूदान का उपयुक्त केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
- 11. कोई भी उपयुक्त शक्ति विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संघालित नहीं होगा।

151

- Board etc., Cricket (Bat - Ball), Badminton, Carom, Ludo, Chess, Volley - Ball, Bhalla, Rope etc., Y, 138, Newspaper Magazin
- (X) शिक्षण अधिनियम सामग्री/ खेल-कूद उपकरण/ गणितकालय :- Mathematical Instrument (Cone, Square, Rectangle, Sphere, Prism, Drawl
- (IX) वायुचलित पदार्थ :-
- (VIII) मर्यादित भोजन के लिए रसोई घर :- 1
- (VII) पंचाल की सुविधा :- 8
- (VI) बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग खेलकूद :- Indian, Boys :- 13, Girls 8
- (V) प्रशासकीयक-सह कापालय सह-भवन कक्ष :- 3
- (IV) वर्ग कक्षा की कुल संख्या :- 38
- (III) खेल के भूदान कक्ष :- Electricity, Playground, Computer, Labratory, Medical etc.
- (II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 10521m<sup>2</sup> विस्तार
- (I) विद्यालय परिसर कक्षकक्ष :- 10521m<sup>2</sup> विस्तार

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्घृत मानकों एवं मानदंडों को संस्कार रखेंगे। विद्यालय के अंतिम निर्देशन के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नतः